

वित्तीय कठिनाई का सारांश

CCC Financial Solutions Group (अब से इसे CCC कहा जाएगा) अपने ग्राहकों के साथ काम करने और यदि वित्तीय कठिनाई के कारण ऋण का भुगतान न किया जा सके तो सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यदि बकाया ऋण का भुगतान करने से ग्राहक की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता पर असर पड़ेगा, तो हो सकता है कि वे कठिनाई सहायता के लिए पात्र हों।

CCC एक उचित भुगतान समाधान पर पहुँचने के लिए अपने ग्राहकों के साथ काम करेगा। इसमें छोटी या लम्बी अवधि की वित्तीय कठिनाई सहायता शामिल हो सकती है।

CCC समझता है कि सहायता की मांग करना कठिन हो सकता है। हमारी टीम अपने सभी ग्राहकों के साथ विनम्रता और सम्मान के साथ व्यवहार करेगी। हमारे ग्राहकों से भी वापस ऐसा करने की उम्मीद की जाती है।

CCC की कठिनाई नीति राष्ट्रीय उपभोक्ता क्रेडिट संरक्षण अधिनियम (National Consumer Credit Protection Act) के अनुसार ड्राफ्ट की जाती है।

वित्तीय कठिनाई सहायता का निवेदन करने के लिए, ग्राहक CCC को - मुंह-ज़बानी या लिखित तौर पर – पुनर्भुगतान दायित्वों को पूरा करने की अपनी अक्षमता की सूचना दे सकते हैं। इस कठिनाई नोटिस को प्राप्त करने के बाद, CCC ग्राहकों से निर्दिष्ट जानकारी का निवेदन कर सकता है, जो 21 दिनों में प्रदान की जानी चाहिए।

हमारे द्वारा निवेदन की जाने वाली जानकारी यह फैसला करने के लिए प्रासंगिक होनी चाहिए कि क्या ग्राहक क्रेडिट कांटेक्ट के अधीन दायित्व पूरे करने में असक्षम है और ग्राहक के अपने दायित्वों को पूरा करने में सहायता देने के लिए कांटेक्ट कैसे बदला जाना चाहिए।

सामान्यतः, CCC वित्तीय स्थिति की स्टेटमेंट का और साथ ही ग्राहक की स्थिति से प्रासंगिक अन्य दस्तावेज़ों का निवेदन करेगा।

ग्राहकों के लिए जानकारी के लिए निवेदन के साथ अनुपालन करना ज़रूरी है जबकि CCC के लिए प्रारम्भिक कठिनाई नोटिस के 28 दिनों के भीतर अंतिम परिणाम प्रदान करना आवश्यक है। कठिनाई दस्तावेज़ प्रदान करने में विफल रहने से कठिनाई के लिए निवेदन नामंजूर किया जा सकता है।

यदि कोई ग्राहक लंबी-अवधि के लिए गंभीर वित्तीय कठिनाई का अनुभव कर रहा है, तो वह राष्ट्रीय कठिनाई रजिस्टर (National Hardship Register) के लिए पात्र हो सकता है – यह ऑस्ट्रेलियन कलेक्टर्स एंड डेट बायर्स एसोसिएशन (Australian Collectors and Debt Buyers Association) और सामुदायिक क्षेत्र के बीच एक संयुक्त पहल है। इस पहल का प्रयोजन असुरक्षित ग्राहकों को अनावश्यक ऋण संग्रहण गतिविधि से सुरक्षित करना है। और अधिक सीखने तथा यह पता लगाने के लिए कि क्या आप पात्र हैं, www.nhr.org.au देखें।

यदि अपने ऋणों का प्रबंधन करने में आपको अधिक सहायता की ज़रूरत है, तो आप अपनी सबसे करीबी निःशुल्क वित्तीय सलाहकारी सेवा को रेफरल दिए जाने के लिए Financial Counselling Australia से 1800 007 007 पर संपर्क कर सकते/सकती हैं।

वित्तीय कठिनाई नीति के बारे में अंग्रेज़ी में और अधिक जानकारी के लिए, कृपया www.cccfinancial.com.au देखें।